कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा

खनिज परिवहन शुल्क वसूली ई–निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत बांदा द्वारा जनपद बांदा अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरम, रेत या अन्य खनिज गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, बजरी, खारो से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में या जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्तिचालित वाहनों से शुल्क वसूली सम्बन्धी ठेका/नीलामी वर्ष 2017–18 (स्वीकृति तिथि से दिनांक – 31.03.2018 तक) के लिए ई–निविदा दिनांक – 18.09.2017 को समय शाम 5.00 बजे तक ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है जिसके लिए टेण्डर फार्म ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in दिनांक–11.09.2017 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक –18.09.2017 को शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा। तकनीकी निविदा दिनांक –19. 09.2017 को समय 11 बजे पूर्वान्ह से खोली जायेगी तथा वित्तीय निविदा दिनांक उसी दिन 19.09.2017 को समय अपरान्ह 04.00 बजे खोली जायेगी। दोनो ई–निविदा कार्यालय जिला पंचायत बांदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में ससमय खोली जायेंगी। निविदादाता अपने समस्त प्रमाण पत्र की स्कैन कापी निविदा के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in अपलोड करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्र शर्तो के अनुसार दिनांक–18. 09.2017 को समय सांय 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला पंचायत, बांदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में सील्ड बाक्स में जमा कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदादाता की ई–निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

टेण्डर फार्म का शुल्क रू0 10,000/– (टेण्डर फार्म का मूल्य)+ 1 प्रतिशत सीजीएसटी +1 प्रतिशत एसजीएसटी का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, बांदा के नाम से देय होगा, जो कि टेक्निकल बिड के साथ देना अनिवार्य होगा। उपरोक्त टेण्डर के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। टेण्डर की शर्ते निम्नलिखित है :–

1. जिला पंचायत के किसी बकायेदार को नीलामी/ई–टेन्डरिंग में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
2. जिला पंचायत के पदाधिकारियों के निकटस्थ जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–54 में परिभाषित सम्बंधियों को ई–टेन्डरिंग में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
3. टेण्डरदाता को टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमानत धनराशि मु0–2070000.00 लाख (बीस लाख सत्तर हजार) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बांदा के नाम देय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोलीदाता की जमानत धनराशि नीलामी की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी।
4. उपविधि के अनुसार उच्चतम बोलीदाता को रू0–1.00 करोड़ की धनराशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से तत्काल जमा करना होगा। उक्तानुसार धनराशि जमा न करने पर जमा धनराशि जब्त हो जायेगी एवं पुनः ठेका नीलामी में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली (ठेका छोड़ने वाले व्यक्ति) ठेकेदार से की जायेगी।
5. टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने वाले टेण्डरदाता को सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं रू0–20.00 लाख (बीस लाख) का हैसियत प्रमाण पत्र, जो बोलीदाता का स्वयं का हो तथा शासनादेशों के अनुसार हो, देना अनिवार्य होगा। साथ ही शपथ पत्र पैन नम्बर की सत्यापित प्रति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–54 में परिभाषित जिला पंचायत बांदा के मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्य एवं अधिकारी/कर्मचारी के सगे सम्बंधित न होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. सक्षम अधिकारी से टेण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को तत्समय निर्धारित दर से स्टैम्प पेपर जमा कर अनुबंध लिखना होगा तथा आयकर मद में नियमानुसार 02 प्रतिशत आयकर एवं उस पर 02 प्रतिशत शिक्षा उपकर भी निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात हीं कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
7. ठेकेदार को जिला पंचायत से उपलब्ध कराई गई मुद्रित कमांक युक्त प्रमाणित रसीद पर ही शुल्क वसूली करना होगा। जिसे ठेकेदार रसीद का मूल्य जमा कर जिला पंचायत से प्राप्त करेगा तथा रसीद के प्रतिपर्ण को जिला पंचायत में वापस जमा करेगा।
8. ठेकेदार को निर्धारित शुल्क के अनुसार ही वसूली करना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित दर से अधिक की वसूली नहीं करेगा।
9. वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

10. शासनादेशानुसार उपरोक्त खनिज परिवहन करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली के लिये किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का बैरियर लगाये जाने को प्रतिबंधित किया जा चुका हे अतएव शुल्क की वसूली खनिज स्थल के आस पास ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे जहां पर कि यातायात अवरूद्ध न हों। वसूली स्थल पर गाडियों के रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नही किया जायेगा।
11. जिला पंचायत के किसी आदेश/निर्देश अथवा उपविधि/शर्तनामे के किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
12. वसूली स्थल पर ठेकेदार को सहज दृश्य स्थान पर एक 6गुणे4 फीट का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा। रेट बोर्ड पर वसूली स्थल का नाम ठेकेदार का नाम व पता एवं ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मो0 नं0 स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा।
13. ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटो युक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा। जिसमें उन कर्मियों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये गये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा सम्बंधित पुलिस थाने में उपलब्ध कराई जायेगी।
14. समय-समय पर राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत स्तर से जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना सर्वोच्च टेण्डरदाता की बाध्यता होगी।
15. वसूली स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना आवश्यक होंगे, जिसकी रिकार्डिंग प्रत्येक सप्ताह की जिला पंचायत में पेन ड्राइव के माध्यम से जमा करनी होगी।
16. किसी भी बोली को स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत बांदा में निहित होगा।
17. वित्तीय वर्ष 2017-18 की शेष अवधि हेतु सरकारी न्यूनतम बोली मु0 20700000/-रू0 (दो करोड़ सात लाख रूपये) निर्धारित की जाती है।
18. चयनित वसूली स्थल- जखौरा मोड़, भुरेड़ी, हटेटीपुरवा, तारा, छापर, कालेश्वर, पैलानी डेरा, कुल्लूखेड़ा, चन्दौर, लमेहटा, गिरवां, शंकरबाजार, लोहरा(ओझानगर), बदौसा होंगे, जिन पर खनिज परिवहन शुल्क की वसूली मा0 उच्च न्यायालय की रिट संख्या-66438/2015 दिनांक-04.01.2016 में पारित आदेश एवं जिला पंचायत बांदा में प्रचलित उपविधि में दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत की जायेगी। खनिज परिवहन शुल्क की वसूली राष्ट्रीय मार्गो को छोड़कर की जायेगी।
19. खनिज की उपलब्धता/लीज के अनुसार खनिज स्थलों की संख्या घट बढ़ सकती है। उपविधि में प्राप्त अधिकार के तहत अथवा शासन से प्राप्त मार्गदर्शन/निर्देशन के अनुसार स्थल बदलने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बांदा का होगा।
20. आयुक्त महोदय चित्रकूटधाम मण्डल बांदा द्वारा अनुमोदित बालू, मोरम, गिट्टी, बोल्डर, पत्थर, सुरखी, चूना, भस्सी एवं कोयला परिवहन करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली सम्बंधी दरें निम्नवत है:-

1	पशुओं के द्वारा खीचें जाने वाली गाड़ी	10 रू0 प्रति फेरी
2	मानव चालित नाव	20 रू0 प्रति फेरी
3	ट्रैक्टर ट्राली	50 रू0 प्रति फेरी
4	ट्रक:-	
	क-मिनी ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स)	100 रू0 प्रति फेरी
	ख-ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स 06 चक्का)	150 रू0 प्रति फेरी
	ग- भारी ट्रक (हैवी गुड्स विहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)	200 रू0 प्रति फेरी

21. ई-निविदा में भाग लेने हेतु निविदादाता को किसी भी मान्य एजेंसी से डिजिटल सिग्नेचर स्वतः बनवाना होगा।

(रणमत सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बांदा

(निर्मला सिंह)
अध्यक्ष
जिला पंचायत बांदा

कार्यालय जिला पंचायत, बॉदा

पत्रांक - 786 /तह बाजारी ठेका/2017-18/दिनांक - 07/09/2017

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3. मा0 आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को सादर अवलोकनार्थ।
4. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, बॉदा को अवलोकनार्थ।
5. जिलाधिकारी महोदय, बांदा को अवलोकनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, बॉदा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा।
8. सिटी मजिस्ट्रेट बांदा को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त तिथिं में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश परिपालनार्थ अपने समक्ष ई–निविदा खुलवाने का कष्ट करें।
9. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी जनपद–बॉदा को अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
10. व्यवस्थापक प्रादेशिक समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रीय सहारा, दैनिक हिन्दुस्तान व स्थानीय समाचार पत्र दैनिक त्रिशूल तेज बॉदा को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में बांदा संस्करण में प्रकाशित कराकर दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
11. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता (सदस्य नीलाम समिति) जिला पंचायत, बॉदा को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्धारित समय में कार्यालय जिला पंचायत, बॉदा में उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार नीलामी कार्यवाही सम्पादित करायें।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बॉदा को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त विज्ञप्ति बांदा जिले की बेबसाइट http://banda.nic.in पर डाउनलोड कराने का कष्ट करें।
13. प्रभारी कोतवाली, शहर–बॉदा को इस आशय से कि वे निर्धारित तिथि में शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, बॉदा।
15. कैशियर जिला पंचायत, बॉदा को इस निर्देश के साथ कि वे ई–टेण्डरिंग तिथि को टेण्डर दाताओं की जमानत व ठेका धनराशि आदि के बैंकर्स चेक/डीडी आदि जमा करायें।
16. जिला पंचायत, बॉदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

जिला पंचायत कार्यालय बाँदा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बॉदा